Case No:- 42/2019
MIMS No:- 2019/00186

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/8/21	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी अनु: है। वकील प्रार्थी द्वारा पूर्व आदेशिका 6-1-2020 आज तक अप्रार्थी सं० (2) गंगादान के फौत होने पर उसके का० मु० की सूची पेश नहीं की जा रही है न ही उनकी सूची व तलबी हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है इस प्रकार निगरानी में LR पेश नहीं करने व ही तलबी कराए होने से [illegible] न्यायालय के O.9 rule 5 में खारिज योग्य हो जाती है। अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 26.8.21 को पुनः पेश हो। इस बाबत यह अन्तिम अवसर दिया जाता है जो, [illegible] रहे। पत्रावली दिनांक 26-8-21 को पेश हो।	
	जिला कलेक्टर, पाली	
26/8/21	पत्रावली आज पेश हुई। पी. ओ. सा. बाहर पधारे हैं। [illegible] इत्तला होकर पत्रावली दिनांक 2-9-21 को पेश हो।	
2.9.2021	पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना की ओर से एक वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र एवं एक शपथ पत्र स्व. गंगादान पुत्र धीरदान जाति चारण निवासी गढवाड़ा के एक विधिक वारिसान श्री मनोहर दान पुत्र श्री गंगादान चारण निवासी गढवाडा की ओर से दिनांक 05.11.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश किया है स्व. गंगादान की मृत्यु दिनाँक 26.12.2004 को ही हो चूकी थी तथा उसका जानकारी प्रार्थीगण को अच्छी तरह से थी फिर भी उनके अधिवक्ता द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत यह निगरानी पेश की गई [illegible] फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी मनोहर सिंह पुत्र स्व. [illegible] ने, स्व. गंगादान के फौत होने बबात प्रार्थना [illegible] ही पेश कर दीया था। तब से ही अधिवक्ता [illegible] तारीख पेशी पर अनुपस्थित है इस वजह से वकील प्रार्थी [illegible] न तो गंगादान के वारिसान की सूची ही पेश की गई न ही उनकी तलबी हेतु नोटिस ही पेश किए गए है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आगे कार्यवाही संभव नहीं है। यह निगरानी एक फौत व्यक्ति के विरूद्ध पेश की गई है जो विधिक रूप से शुन्य है वकील प्रार्थी के स्व. गंगादान के विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित कर पुनः निगरानी पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए यह निगरानी प्रार्थना पत्र इसी स्तरं पर निरस्त किया जाता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:22:24 IST
Reason: SelfAttested